न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 39/2021 राजस्व अपील

1. कन्हैया पुत्र श्री नानगराम जाति मीणा निवासी खेडावास तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व निर्णय उपतहसीलदार बहरावण्डा दिनांक 14.08.2018 मुकदमा उनवानी सरकार बनाम कन्हैया मुकदमा संख्या 34/2018 अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट)

उपस्थिति : श्री जितेन्द्र गंगावत, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांक: 24.05.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के विरूद्ध पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसील बहरावण्डा को इस आशय की पेश की गई की ग्राम खेडावास के आराजी खसरा नम्बर 215 रकबा 0.08 है. भूमि पर सम्वत 2075 में अपीलान्ट कन्हैया पुत्र नानगराम जाति माली निवासी ग्राम खेडावास ने काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना निर्णय दिनांक 14.08.2018 पारित कर अपीलान्ट को 90 दिन के सिविल कारावास की सजा व विवादित आराजी से बेदखल कर 50 गुणा पेनल्टी की सजा से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 14.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून नियम के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत का पूर्ण अवसर नहीं देकर यह निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में यह अंकित नही किया है कि अपीलान्ट ने कौनसी फसल काश्त की है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का मौका भी नहीं दिया गया है ना ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट एक्जिबिट हुई है। बिना एक्जिबिट हुये साक्ष्य व सबूत के तौर पर रिपोर्ट को ग्रहण नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नहीं है एवं ऐसा कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। जिससे अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जा सके।

अपीलान्ट ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि खसरा नम्बर 215 रकबा 0.08 है. ग्राम खेडावास तहसील बहरावण्डा पर से अपना अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटा लिया है। उक्त भूमि आज रोज पूर्णतया खाली है एवं भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण/अतिचार नहीं किये जाने सम्बन्धी अपीलान्ट शपथकर्ता द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट ने ग्राम खेडावास में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 215 रकबा 0.08 है. भूमि पर तिल की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.08.2018 के द्वारा अपीलान्ट को 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा व पेनल्टी से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा ग्राम खेडावास तहसील बहरावण्डा में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 215 रकबा 0.08 है. भूमि पर से अपना अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटा लिया जाना एवं आज रोज उक्त भूमि पूर्णतया खाली होना तथा भविष्य में किसी भी सरकार भूमि पर अतिक्रमण व अतिचार नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम खेडावास तहसील बहरावण्डा में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 215 रकबा 0.08 है. पर अतिक्रमण नहीं होने बाबत् अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा सत्यापित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.08.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 14.08.2018 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 24.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा